

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीर प्रसाद नायक, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 25/2019 प्रार्थनापत्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

1. मु. घीसी पत्नि रामसुख कुमावत निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
2. मु. जस्सुदेवी पत्नि हीरालाल कुमावत निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री हेमराज पिता भूरा दरोगा निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां
2. श्री ओमप्रकाश पिता मदन वैष्णव निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां
3. श्री सांवरमल पिता देबी कुम्हार कुमावत निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां
4. श्री लादू लाल पिता देबी कुम्हार कुमावत निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां
5. श्री पप्पू पिता राधाकिशन कुम्हार कुमावत निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां

विपक्षीगण


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 128 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांक 28.11.2019

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थीगण के ग्राम सांगरिया पटवार हल्का धनोप तहसील फूलियाकलां में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की आ0न0 2663 रकबा 0.27, आ0न0 2781 रकबा 0.15, आ0न0 2782 रकबा 0.13, आ0न0 5196/2763 रकबा 0.25, आ0न0 5197/2781 रकबा 0.23, आ0न0 5198/2782 रकबा 0.06 है0, का प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम सांगरिया संवत् 2072 से 2075 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर



अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सांगरिया मे स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 6 रकबा 1.09 हैक्टर की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार, फूलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस नियमानुसार प्रार्थीगण से तहसीलदार फूलियाकलां मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 28.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

( एम०पी० नायक )

आर०ए०एस०

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)